

आज दिनांक 15/09/2018 को अपर समाहर्ता के फांक संख्या 1905 दिनांक 24/08/2018 के आलोक में ILO of 1 सर्किट of 220 क० वी० डी० सी० वी० वी० एस० - गोविन्दपुर हांसमिश्रान लाईन हेतु अनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम समा का आश्रोजन पंचायत सवन मानगो के प्रांशण से मुखिया मानगो की अध्यक्षता में किया गया जिसमें अंचल के निम्न पदाधिकारी, अध्यायी विभाग के प्रतिनिधि ग्रामीण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए।

21/09/18
मुखिया
15/09/18

1. जगदीश मल्लह
2. लक्ष्मण मल्लह
3. अजिता केकर
4. विकास कुमार
5. Rahul Chelliah
6. Farhat Akhlaq
7. हरिचरण केकर
8. नीला केकर
9. नरेश्वर मल्लह
10. प्रमोद कुमार केकर

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

11. सुरेश मल्लह
12. भोजल केकर
13. मञ्जरीन
14. सुफल सिंह
15. अमरी केकर
16. गणेश केकर

- 18) जनीदिना मल्लाह
- 19) संकर केवट
- 20) ठाकुर केवट
- 21) विमल कुमार
- 22) जगदीश केवट
- 23) नून चंद सिंह
- 24) डालम केवट
- 25) ~~जगदीश केवट~~
- 26) ~~जगदीश केवट~~
- 27) Babla Raj Mallah
- 28) रोहित केवट
- 29) Mohd. Kewat
- 30) रामन कुमार मल्लाह
- 31) शशी केवट
- 32) ~~Rahul Kewat~~
- 33) ~~मल्लाह~~
- 34) ~~मल्लाह~~
- 35) ~~मल्लाह~~
- 36) ~~मल्लाह~~
- 37) ~~मल्लाह~~
- 38) ~~मल्लाह~~
- 39) ~~मल्लाह~~
- 40) ~~मल्लाह~~
- 41) ~~मल्लाह~~
- 42) ~~मल्लाह~~
- 43) ~~मल्लाह~~
- 44) ~~मल्लाह~~
- 45) ~~मल्लाह~~
- 46) ~~मल्लाह~~
- 47) ~~मल्लाह~~
- 48) ~~मल्लाह~~
- 49) ~~मल्लाह~~
- 50) ~~मल्लाह~~


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

मुखिया के अमिनादन के पुर्यात आज की
कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
सबसे पहले राजस्व अधिकारी के द्वारा वेंडर के
सम्बन्ध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

ग्राम	घाना	लाइट संख्या	रक्का (रु०)	किस्म
सानगा	01	34	0.465	जंगल-शेड
		73	2.095	
		162	0.008	
		162	0.008	
		303	1.639	
			<u>4.207</u>	

तत्पश्चात इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रस्तावित
ट्रांसमिशन लाइन के उपर्युक्त लाइट पर उसके
निर्माण एवं गुजरने पर आदिम जनजातिय समु
(PTC) एवं पूर्व कृषि समुदाय (PAC)
के अधिकारी का हुनर नहीं होता है के
सम्बन्ध में ग्रामीणों को बताया गया एवं
ग्रामीणों ने इस सम्बन्ध में सहमति जाहिर की
ग्रामीण जनता ने इस परियोजना के महत्व व
समझा एवं चर्चा मत से सहमति देते हुये इस
प्रस्ताव को पारित किया।

सधन्यवाद के साथ साथ की कार्यवाही समाप्त
गई।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

दिनांक 01/12
मुखिया

आज दिनांक 11/10/2018 को अपर समाह्वी वीकोप
के पत्रांक 1905 दिनांक 24/08/2018 के अलोक
में LTL 06 । सर्किट 06 220 के 0 वी.डी.सी.
त. त. प. 5 गोविन्दपुरा समिशन लाइन हेतु
वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूति
का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम समा का
आयोजन ग्राम पंचायत अकारेगोकेपंचायत अनुन
में माननीय मुखिया जी के अध्यक्षता में बैठक
किया गया। जिसमें अंचल एवं ग्रामीण के
गण मान्य व्यक्ति उपस्थित हुए जो निम्न हैं

उपस्थित ग्रामीण का
हस्ताक्षर

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1 | मोही लाल मोदी | अकारेगोकेपंचायत |
| 2 | अरमल | समिति |
| 3 | वन अ. मोह खारगा | वन अ. मोह खारगा |
| 4 | पटवरा | पटवरा |
| 5 | माली देवी | |
| 6 | विपति देवी | |
| 7 | सावित्री देवी | |
| 8 | महेंद्र आरव | जोशना देवी |
| 9 | Hashim Akbari | |
| 10 | Guramand Bhandari | |
| 11 | Jagdish Kumar | (Sub-sec. officer) forest Enr. & Chikara |
| 12 | Ramraj | |
| 13 | रवि कुमार ठूरी | |
| 14 | हरबल ठूरी | |
| 15 | Ayush Kumar | |


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

का
संबंध
यता)
संबंध
वन
मुख्य
र पी
लिए
गोरम
कार
यम,
भूमि
गत
किया
ति

②

- 16 प्रमोद झा तुरी
- 17 रोशन तुरी
- 18 उपमाला
- 19 ओमेश्वर महता
- 20 Arun Kumar Singh
- 21 सोहन गोर्ग
- 22 दिनेश प्रसाद
- 23 राजु सिंह
- 24 टेकेचन्द महता

25 नगर सिंह

भारतीय नृविज्ञ के अभिवादन के पश्चात् आज की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें अभियंता सम्मेलन निर्माण नतीजा तथा जो वन जंगल काटी के रूप में पड़े वाले भूमि का निर्माण निम्न प्रकार है

ग्राम	आकार का खाना	गिर	रकन हेक्टर	कि.ग
अमरग - 84 - 71 -	26 -	0.003	-	जंगल का
	29 -	0.005	-	"
	19 -	0.069	-	"
	70 -	0.001	-	"
	70 -	0.083	-	"
	72 -	0.139	-	"
586 -		0.014	-	"
		0.314		


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

उपरोक्त भूमि के लॉट रकबा का चर्चा करते हुए
 प्रस्तावित लाइन के उपर्युक्त लॉट पर पडने
 एवं गुजारे पर आदि जनजातीय सख्त (P.T.)
 एवं प्रकृति संरक्षण (PAC) के अधिकारी को
 हानि नहीं होता है। इस संबंध में ग्रामीणों
 को बताया गया एवं ग्रामीणों ने इस सम्बन्ध
 में सहमति आशीर की शर्तों पर जनता ने
 इस प्रोजेक्ट के प्रदत्त को समझा एवं
 सहमति देकर। तथा पारित किया गया है।
 यह सम्बन्ध इस कार्यवाही को समाप्त
 की जाती है।

भोतीराजगर्भी
 वनाधिकार समिति
 अध्यक्ष
 जन शिबिर थलारा

धनबाद धनबाद

मुक्तिशिव
 मुखिया मुखिया
 जन शिबिर थलारा
 जन शिबिर थलारा
 वनाधिकारी समिति
 सचिव
 जन शिबिर थलारा

धनबाद धनबाद

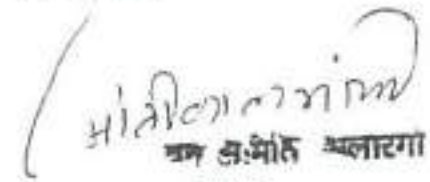
धनबाद

Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 220 KV D/C 3 phase TTPS-Govindpur Line
परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित 26, 28, 19, 70, 72, 586
0.003, 0.005, 0.067, 0.001 वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं
0.083, 0.135, 0.014 अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत
Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से
संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन
निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती
प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी
गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं
लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का
कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया
पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


वन अधिकारी अलाहाबाद
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति

आज दिनांक 22/10/2018 को आपसमाह्वी कोकरी के पत्रांक
1905 दिनांक 24/08/2018 के आलोक में L.L.O. अर्थात् सफ़ाई
220 के.बी.डी.एन. T.T.P. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए.
कनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि का अनापत्ति पत्र
पत्र दिनांक 22/10/2018 को आपसमाह्वी डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए.
अवन में माननीय डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए.
जिसमें अंचल एवं डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए. डी.वि.ए.
निम्न है।

अपस्थित डी.वि.ए.
का हस्ताक्षर

अपस्थित डी.वि.ए.
कनाधिकार अधिकारी
अंचल

डी.वि.ए.
22-10-18

अपस्थित डी.वि.ए.
मुखिया
अपस्थित डी.वि.ए.
कनाधिकार अधिकारी
अंचल

(1)

(2)

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

अ. वि. ए. डी. वि. ए.

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

44) श्रीकरन महता	42
45) Chhoti Kishor Saw	43
46) नमन किरण	44
47) सुजानी देवी	45
48) Mukesh Kumar Yash	46
49) मोहन लाल महता	47
50) Deepak K. Saw	48
51) Anita Devi	49
52) पुरनी देवी	50
53) सुमन देवी	51
54) शांति देवी	52
55) Jethuraj	53
56) Ramesh Kumar	54
57) Standard Kumar	55
58) पना नाग महता	56
59) रिनरु म क तो	57
60) वैजयंती महता	58
61) कलदीप नामक	59
62) सुहित कुमार	60
63) रामेश्वर महता	61
64) Nausangit Mahata	62


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division

माननीय मुरिवा के अतिवादन के पश्चात् आज की बैठक में कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें उपभोक्ता सम्बन्धि विवाद-
व्यवस्था तथा जंगल भाग के अन्तर्गत पट्टे का भूमि का विवाद-
निर्णय कार्य हो-गया है।

क्र.सं.	शेता क्षेत्र	खता	लॉट	रकबा (हेक्टर)	विशेष
गुजरौट	72	95	1599	0.559 H	Forest land
			1595	0.002 H	" " "
			1593	0.019 H	" " "
				<u>2.580</u>	

उपरोक्त भूमि के लॉट रकबा का चर्चा करते हुए प्रस्तावित लाइन
के उपरान्त लॉट पर पट्टे एवं गुजरौट पर खादम जनजाती
समूह (P.T.G) एवं पूर्व कृषि समुदाय (P.A.C) के अधिकारी का
हस्तन नहीं होता है इस सम्बन्ध में ग्रामीणों को बताया गया
एवं ग्रामीणों ने इस सम्बन्ध में सहमति जाहीर की ग्रामीण जनता
ने इस पर मौजूद महत्व का समझा एवं सहमति देकर तत्प
पारित किया गया है। यह सचवादा के बाद इस कार्यवाही के
व्यवस्था की जायेगी।

निदेशाधिकारी
जनसम्पर्क समिति
ठाकुर

Motilal
जनसम्पर्क समिति
सचिव

श्रीना देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत गुजरौट


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 220KV P/C 3 phase T.T.P.S. Govindpur line परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित ग्राम- गुंजर 575, 1599, 1599 छाता सं०- 95 प्लॉट सं०- 1599 रकबा - 0.539, 0.6002 वनभूमि 0.019 (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन वन प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी यथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा (मातृभाषा) में ग्राम सभा के व्याख्यात कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से अनापति प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


अध्यक्ष

आज दिनांक 24/10/2018 को उपर समावर्ती जोकारा व पुरांक 1905 दिनांक 24/08/2018 के आलोक में L.L.C. ऑफ 1 सर्किट ऑफ 220 के.वी.डी.सी. T.T.P.D. गौवि-पुर ट्रांसमिशन लाइन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2 के तहत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण हेतु ग्राम सुभा आभोजन ग्राम पंचायत विखनी के पंचायत भवन के माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में बैठक किया गया जिसमें अंचल एवं ग्रामीणों के वाणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए निम्न हैं।

कोरसना के

उपरिष्ठ ग्रामीण — ~~Laxman & Sushil~~
वनाधिकार समिति विखनी पंचायत मुखिया
केदार

(2) वनाधिकार समिति
साचिव

(3) भवतारण महतो

(4) दुल्लभ महतो

Electric Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

5) Dhanuwar Hembram

(6) उड़ी देवी

7) Ravi Lal Hembram

8) प्रीतम राहु

9) Lalchand Mahato

10) रघु रायक

11) Jayeshwar Thakur

12) सेवा साव

- 16) Manoj Kumar Pandey
- 17) Rajesh Rajwar
- 18) किशोर रजवार
- 19) हानू रजवार
- 20) Kameshwar Kumar
- 21) प्रदीप कुमार
- 22) लोकेश्वर महतो
- 23) Anjay Kumar
- 24) नाजीर फलीहा
- 25) 0 पं. इं. इं.
- 26) Prem Kumar Mahato
- 27) रघुनाथ महतो
- 28) हेमनाथ विहसकमा
- 29) उमा गोहर महतो
- 30) Rameshwar Mahato
- 31) H. Abdul Karim
- 32) सुरेश प्र. महतो
- 33) गोविन्द प्रसाद महतो
- 34) रामेश्वर महतो
- 37) Nandkishor Tiwari
- 38) शमीलाल महतो
- 39) मोला प्र. ठुरी
- 40) L. Keshwar Mahato
- 41) पुन 20/11/21
- 42) तारिक महतो
- 43) सुखदेव छिस्का
- 44) विवेक महतो
- 45) Gobind Mahato
- 46) संजय कुं. महतो
- 47) शरक महतो
- 48) गोपाल महतो
- 49) Shankar Kumar
- 50) राजेश महतो
- 51) प्रकाश महतो
- 52) Vijay Mahato
- 53) प्रेमचंद महतो

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

56 प्रदीप कुमार	79 आशा देवी
57 भीम महता	80 दौलत महता
58 अर्जुन महता	81 दुमाबा महता
59 Anand Mahata	82 सीताशा महता
60 Jakeshwar Kumar Mahata	83 केशव साव
61 Kumar Suresh	84 सुरेश साव
62 Vijaydhar	85 विश्वना साव
63 Ramesh Lal Mahata	86 नागेश्वर रेड्डि
64 नरेश कुं महता	87 नारायण महता
65 Bhupeshwar Mahata	88 Shankar B. Nigam
66 Arjunash M. Sahar	89
67 सतेज कुं महता	90
68 प्रकाश महता	91
69 प्रदीप रजवार	92
70 Anand	93
71 सुनिल कुं महता	94
72 Sanjay K. Mahata	95
73 देवन्ती देवी	96
74 प्रियम महता	97
75 किशुन कुमार महता	

माननीय मुखिया के आभिवदन के पश्चात् आज की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें उपभोजन सम्बन्धि विवरण खनधा तथा / जंगल काड़ी के रूप में पडने वाले भूमि का विवरण निम्न प्रकार है - जो 2.5. भूमि है।

ग्राम	ग्रामासे	खाना	लॉर	रकवा (हेक्टर)	किमी
विरनी	78	136 /	2568 /	0.008 "	2.5
		186	722	0.011 /	2.5
		186	727	0.043 /	2.5
		186	767	0.060 "	2.5
		"	"	0.033 "	2.5
		"	"	0.006 "	2.5
		"	"	0.057 "	2.5
		"	960	0.685 "	2.5
		"	767	0.635 "	2.5
		"	727	1.126 /	2.5
		"	722	0.286 /	2.5

2568 - 0.008
 722 - 0.237
 727 - 1.267
 767 - 1.797
 760 - 0.685
 4.054

उपरोक्त भूमि के लॉर एवं रकवा का चर्चा करते हुए प्रस्तावित लॉर के उपरोक्त लॉर पर पडने वाले एवं गुजरने पर उपदिष्ट जमीनी समूह (P. 7.1) एवं पूर्व कृषि समुदाय (P. 7.1) के अधिकारी का हटान नहीं होता है। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों को खनधा तथा / जंगल काड़ी एवं ग्रामीणों ने इस सम्बन्ध में सहमति जाहिर की ग्रामीण जनता को इस परिभाषित के महत्व को समझा एवं सहमति हुए तथा पाये किता गया है। यह व्यवस्था के बाद इस कार्यवाही को समाप्त किया गया है।

कोशला देवी

वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति मुखिया विरनी
 सचिव

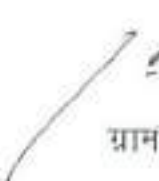
Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

प्रमाण पत्र

3 phase T.T. P.S Govt. 10 KV line
for NDC

1. प्रमाणित किया जाता है कि 220 K.V. 2/K परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित ~~for 10 KV line~~ वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

आज दिनांक 5/11/2018 को अपर समाहर्त कोकरी के पत्रांक 1905 दिनांक 24/08/2018 के अलोक में L.L.O. of 1 सर्किट of 220 के.वी.डी.डी. टी.पी.डी. गोविन्दपुर ट्रांसमिशन लाइन हेतु वनाधिकारी आये-निम्न 2006 के तहत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आश्रम का आयोजन आश्रम जंचायत भवन बन्धियों के मौजा नसीम वाना खंड 30 के अन्तर्गत माननीय मुखिया जी के सहभागिता में चैक किया गया। जिसमें अंश एवं आश्रम के वन मान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जो निम्न हैं।

उपस्थित आश्रम
हस्ताक्षर

सहदेव महता
वनाधिकारी समिति
अध्यक्ष

Emailed to
5/11/2018
श्री. प्रसाद बर्मा
पुष्पा-पुष्पा (बिनाये)
पुष्पा (बिनाये) महता
वनाधिकारी
समिति लखन
विशेष अधिकारी

Ashok Kumar

2 राजेश कुमार महता

3 देवनाथ कर्मा

4 राजेश्वर महता

5 मनीष कुमार महता

6 दीपक कुमार महता

7 श्री. रामाशुदीप

8 श्री. शैल

9 Mr. Datta

10 Muresh Kumar

11 Ramesh Kumar

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

③

12 मनोज कुमार

13 राजु भादव

14 मेधा राठौर

15 Kailash Kumar

16 Kish Kumar

17 Renu Pandey

18 Anand Kumar

19 सत्य कुमार

20 अनिल भादव

21 कमलेश वर्मा

22 सुधा कुमार

23 रवि कुमार

24 Jagannath Kumar

25 Rakesh Thakur

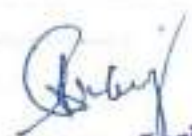
26 गुरुदास शर्मा

27 अमर कुमार

28 विमल शर्मा

29 कीर्ति कुमार

30 वैष्णव शर्मा


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

माननीय मुखिया जी अभिवादन के पश्चात् आज की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें उपस्थित संबंधी विवरण बताया गया जो अंगुल के रूप में पढ़ने वाली श्रमि का विवरण निम्न प्रकार है।

ग्राम	आगख	स्वात	एलैंट	रकना हेक्टर	मिल
गसिया	80		236	0-397	अंगुल
			336	1.567	
			269	0.382	अंगुल
				1.749	

उपरोक्त श्रमि के एलैंट रकवा का चर्चा करते हुए प्रस्तावित लाईन के उपर्युक्त एलैंट पर पढ़ने एवं चुनने पर आदिम जन जाति, सयूह (P.T.C.) एवं बर्द कृषि समुदाय (P.A.C.) के अधिकारी का हनन नहीं होगा है। इस संबंध में आग्रही को बताया गया एवं आग्रही ने इस संबंध में सहमति जाहिर की आग्रही जनता ने इस परियोजना के महत्व को समझा एवं सहमति दूरी। तथा गरित किया गया है।

सह धनवाद इस कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

सहदेव महर्षी
जन अधिकारी समिति
अहमद

Enahto
S.A. P.T.C.
मुखिया
मु. विमलेश्वर महर्षी
पञ्च-पदपा (बोका)
उ. विमलेश्वर महर्षी
जन अधिकारी समिति
सचिव

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि Lt/6 of 220 KV TTFS - Gobindpur Line परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जाला उपरोक्त रकबा है 336 1.563 वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा--(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

सहदेव महतो - मुखिया
मुखिया

अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

महतो
मुखिया
ग्राम पंचायत बंदियो
प्रखण्ड-चन्द्रपुरा (बोजरो)

आज दिनांक 5/11/2018 को अपर सभा ⑤
 के पत्रांक 1905 दिनांक 24/08/2018 के आ
 LILLO of 1 सर्किट of 220 के. वी. डी. सी. T.T.P.S
 गोविन्दपुर ट्रांसमिशन लाइन हेतु वनाधिकार
 अधि निम्न 2006 के तहत वन भूमि का अनापति
 प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सूत्रा का आयोजन ग्राम पंचायत
 भवन अलाइन्स के सौजा पिपरडीह वना सं. 83 के अन्तर्गत
 माननीय मुखिया जी के अध्यक्षता में बैठक किया
 गया। जिसमें अंचल एवं ग्रामीण के गण मान्य
 व्यक्ति उपस्थित हुए, जो निम्न है।

उपस्थित ग्रामीण का
 विवरण

मुखिया जी
 मुखिया जी

DA
 मुखिया जी
 मुखिया जी

मुखिया जी
 वन अधिकार सचिव
 अध्यक्ष

मुखिया जी
 वन अधिकार सचिव
 सचिव

(2) Mr. (R. Sawah)

अध्यक्ष

अध्यक्ष

(3) Name/Address

अध्यक्ष

अध्यक्ष

(4) Santali Kachakua

(5) राजेश वर्मा

(6) राजेश शर्मा

(7) निरज कुमार शर्मा

(8) सैतवाग कुमार

(9) जमित कुमार

(10) चोखर 1 नं. 12

(11) चिन्ता नं. 12

Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

(12) विमल कुमार ठी

(31)

Deatok. in Sima

(13) Mr Ashraf Hussain

(32)

Apdhye Cae

(14) Chandan' Hecani

(33)

विप्रेता कसिह

(15) Kulshakar Kuman Malto

(34)

Lalchand - Doshi

(16) श्रीरविवेन कुमार नेदी

(35)

मन्मथेश्वर रमाव

(17) जयपाल महां

(36)

विमल ठी

(18) Kailashwar.

(37)

Sobhash madi

(19) विमल ठी

(38)

Kuldeep Kuma - pu

(20) विमल ठी

(39)

Santosh Kuman

(21) विमल ठी

(40)

मन्मथेश्वर रमाव

(22) अश्वनी अंलादी

"

विमल ठी

(23) Abid Hussain

(24) Bholu Malto

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

(25) इनाम नेदी

(26) Dharmeshwar malto

(27) लालचंद कोमड़ी

(28) Tinkeshwar malto

(29) Mohan Malto

(30) Rahul Malto

माननीय मुख्यमंत्री अभिवादन के द्वारा
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें
मौजम सम्बन्धी विवरण बताया गया और जंगल
क्षेत्रों के रूप में पड़ने वाले क्षेत्रों का विवरण
निम्न प्रकार है

ग्राम बाना री बाला जौट रकवा डेम्बर किस
पिपरडीह - 88 - 06 - 13 - 0046 - जंगल

उपरोक्त क्षेत्रों के जौट रकवा का नक्का करते हुए
प्रस्तावित जौट के उपर्युक्त जौट पर पड़ने एवं
जंगल पर आदिम जनजाति, वन्य (P.T. 6) एवं
पूर्व कृषि समुदाय (P.T. 6) के अधिकारों का
हानि नहीं होता है। इस संबंध में आश्रीकों को
बताया गया एवं आश्रीकों ने इस सम्बन्ध में
सहमति जहाँ की आश्रीक जनता ने इस
परिचालन के प्रदत्त को समझा एवं सहमति
दिए। तथा पारित किया गया है।
सह-चन्दाइ इस कार्यवाही को समाप्त की
जाली है।

श्रीमती लाल मोहन
जन. अधिकारी समिति
अध्यक्ष
जन. अधिकारी भवन

कमल

श्रीमती लाल मोहन
मुख्यमंत्री की

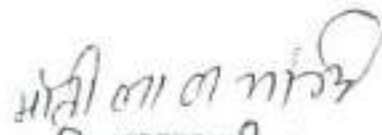
जन. अधिकारी समिति
सचिव
डी. 21/11/88

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 1510 of 220KV TTFS-Gorindpur line परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित रंगना 13-06-16 वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

वन स.स.वि. धनबाद

महसुस

आज दिनांक 06/11/2018 को अंचल-अधिकारी
चन्द्रपुरा के ऑफिस 380 दिनांक 26/10/2018
के ऑफिस में अपर सगाहनी वीकरों के पत्रांक
1905/रां दिनांक 24/08/2018 के आदेशानुसार
ग्राम तारनी होकर 220 KV वीसी 3 फेज
T.T.DS - Jorimul p.w. ट्रांसमिशन लाइन
ले जाने के क्रम में पड़े वाले चूनि जिसका
स्वतंत्रानी किस्म जंगल-झाड़ है तथा अधिभूमि
जंगल होने के कारण वनाधिकार समिति
तारनी ले आनापति हेतु ग्रामसभा को आशोधन
विज्ञा जगा। जिसमें उपस्थिति एवं वार्डनाही
मिम्ब प्रकार है।

चूनि का विवरण

अ
K.C.A. 12/11/18

क्र	वार्ड	क्षेत्र (हे)	किस्म
1	तारनी	0.58	जंगल
		0.58	जंगल-झाड़
		0.140	जंगल
		0.676	जंगल
		0.004	जंगल
		0.047	जंगल
		0.443	जंगल
		0.046	जंगल
		0.860	जंगल
		0.625	जंगल
		1.517	जंगल
Total		5.948	
		5.806	

उपस्थिति

- 01 आरक्षक
वनाधिकार समिति
तारनी Ramdhaman
- 02 सचिव
वनाधिकार समिति
तारनी राजाजी दुवी

मुखिया
ग्राम पंचायत, चौरवी
चन्द्रपुरा (विकारी)

[Signature]

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 01 चन्द्रदेव ठोरी | 19 राजेस ठोरी |
| 02 गोपाल ठोरी | 20 दीपक ठोरी |
| 03 सेना ठोरी | 21 Sonil Gari |
| 04 लाल ठोरी | 22 राम ठोरी |
| 05 रमेश ठोरी | 23 रामचंद्र ठोरी |
| 06 रामेश ठोरी | 24 लालदेव ठोरी |
| 07 लाल | 25 राम ठोरी |
| 08 लाल ठोरी | 26 विरम ठोरी |
| 09 Sonil | 27 ... ठोरी |
| 10 Chetlal Singh | 28 Ranjan Gari |
| 11 Shambhu Singh | 29 ... ठोरी |
| 12 Ram Kori | 30 सुनील ठोरी |
| 13 Shambhu Kori | 31 राम ठोरी |
| 14 Chandra Kori | 32 Ram Paslathi Majal |
| 15 अमरुद्धीन अश्वरथी | 33 Sunil Mohite |
| 16 सुनील अश्वरथी | 34 |
| 17 मोठे लाल अश्वरथी | 35 |
| 18 हिरा लाल ठोरी | 36 |


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

कार्यवाही

- ① सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सुमि का किस्म जंगल-झाड़ है लेकिन जंगल में कार्य हो रहा है इसलिए उपरोक्त सुमि का दो समिधान लड़ा है व वनाधिकार समिति तारंगी की ओर से अनुरोध दिया जाता है

Randhawa Ramu सुशीला देवी

अध्यक्ष

सचिव

वनाधिकार

वनाधिकार

समिति

समिति

तारंगी

तारंगी

मुखिया
ग्राम पंचायत, तारंगी
चन्द्रपुर (भोकारो)


Electrical Engineer
Transmission Division
Dhanbad

दिनांक 06/11/2018

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 220KV TTS-070 Vinpur T/L परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित 858-0.341/858-0.086 वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के सम्मुख रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

मुखिया
ग्राम पंचायत, तारमी
चन्द्रपुर (बोकारो)

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

Randham ram
अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

आज दिनांक 10-11-2018 को अपरहारा कोका
 के प्रभु 1905 दिनांक 24.8-2018 एवं अंचल
 अधिकारी स.प्र.स के कार्यालय 085 दिनांक 26.10.18
 के आदेशानुसार 220 KV J/C 3 कैस हि ली पि एल
 गोविन्दपुर लक्ष्मिसन लाइन लगाने हेतु अमे पडने
 वाले अमे ग्राम पिकडीह लाना ल. 370 वकवा 0.397
 सेक्टर जो खरीयानी किस्मे जंगल है तथा अधिकारी
 वन है का एन ओ सी हेतु आगे सभी किता जाया
 है। (उपस्थित) एवं कार्यवाही सिद्ध प्रकार है।
 उपर ग्राम लाना स्थानीय मुखिया श्री नवल महली
 के सहकार्य में कि गई

स.प्र.स
 मुखिया/स.प्र.स
 ग्राम पंचायत कुर्तिगो

उपस्थित

- (1) अधिकारी - Ram Kishan
- (2) वन अधिकारी सचिव - सुनील देवी
- (3) सचिव वन अधिकारी सचिव पिकडीह
- (4) वन उपपरिषद् पदाधिकारी जे.पी.एम. (ए.ए.)
- (5) सुकाशगिरि
- (6) धनेश्वर दाह
- (7) राधा सिंह
- (8) राज किशोर


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (8) सुनिल सोहन | (26) Nehru Soren |
| (9) Vinay Kumar | (27) पुरा मुर्मू |
| (10) - व शांति देवी | (28) जगन्नाथ मुर्मू |
| (11) शिवमय मयमय | (29) पुष्प करमाली |
| (12) महेश किशु | (30) सुरेश मुर्मू |
| (13) भीम मुर्मू | (31) लक्ष्मीराम मुर्मू |
| (14) Sonjay Kisku | (32) |
| (15) Kamal Kumar | (33) |
| (16) विजय | (34) |
| (17) Rakesh Soren | (35) |
| (18) Likhendra Kumar | |
| (19) मंगल मुर्मू | |
| (20) अनेश महतो | |
| (21) गायनराज | |
| (22) दिलीप मुर्मू | |
| (23) Ramesh Kumar | |
| (24) विजयलाल Soren | |
| (25) रामदेव मुर्मू | |


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

कार्यवाही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि
उक्त ग्राम चिकीटह लाट नं 391 रकबा 0.397
हेक्टेयर में खलाजिसन लाईन पर भारत सरकार का
कार्य है तथा धन हित में है।

आतः उक्त ग्राम पर कार्य करने हेतु वनअधीनस्थ
समिति चिकीटह एचम एचम स्थानीय ग्रामीणों द्वारा
अनापत्ति दिया जाता है।

Ram Kishan

अहपक्ष
वन अधिकार समिति
चिकीटह



रुक्मीलदेवी

सचीव
वन अधिकार समिति
चिकीटह

Nam Mallo

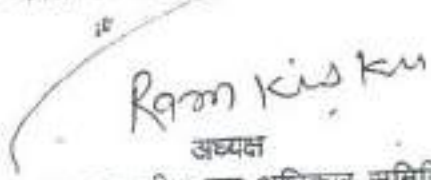
क. सुमिया
वन अधिकार समिति
चिकीटह

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dharwad

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि biLo of 220 KV line TTPS Gobindpur परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित प्लोट रक्षा क्षेत्र वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

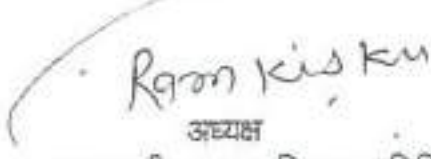

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि Line of 220 KV Line TTPS Gobindpur परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जाता एलेक्ट्रिक लाइन वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad


 अध्यक्ष
 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
 अधिनियम, 2006

आज दिनांक 12/11/18 को अपर समाहर्ता वीकारों
 के फ़ॉक 1905 दिनांक 24/08/18 एवं अंचल
 अधिकारी चन्द्रपुर के फ़ॉक 889 दिनांक
 26/10/18 के आदेशानुसार ग्राम - राजावेंडा
 होते हुये 220KV D/C 3Phase, TTPS -
 Jorajankpur दासमिश्रान लाइन से जाने के
 क्रम में पड़ने वाले ग्राम - राजावेंडा
 लोड संख्या - 01, रकबा 0.001 हेक्टेयर
 एवं लोड संख्या - 01, रकबा 0.007 हेक्टेयर
 जो गैरमजसूदावास खाते से हैं स्वस्थानी
 कृष्ण पहाड़ इन्तया अधिकृत वन -
 दासमिश्रान के कहने के कारण, ग्राम - पंचायत
 तुरियों में अनापूर्ति हेतु स्थानीय मुखिया
 श्री गुरुल महता के अध्यक्षता में
 वनाधिकार समिति की बैठक की गई
 जिसमें उपस्थित एवं कार्यवाही निम्न
 प्रकार है।

उपस्थित

मेहता सिंह

① अध्यक्ष

वनाधिकार समिति
राजावेंडा

अग्राम मुखिया
मुखिया

ग्राम मुखिया पत
श्री गुरुल तुरियों
पुष्पदेव चन्दपुर (वीकारों)

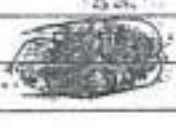
② सचिव
वनाधिकार समिति
राजावेंडा

मीना देवी

③ वार्ड सदस्य, मीना देवी

④ अग्राम मुखिया


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

-
- | | |
|--|---|
| (5) जी व न दुहरी | (23) लाल लाल सिंह |
| (6) पीन दयाल सिंह | (24)  संग मापरी |
| (7) सोमेश मरहती | (25) अकृष्ण मापरी |
| (8) Balgavinder Singh | (26) डी वी वी वी |
| (9) K. K. Chaudhary | (27)  भारती डी |
| (10) अलीश्वर सौरा | (28) राम चन्द्र सिंह |
| (11) रा हाच मापरी | |
| (12) बाला मुन्गी डडू | |
| (13) सिलाराम मापरी | |
| (14) दिनेश भारती | |
| (15) भारती देवी | |
| (16)  रानीचा देवी | |
| (17)  सविता | |
| (18) राज कुमार डडू | |
| (19) कृष्ण सिंह | |
| (20) शतवारि सिंह | |
| (21) महा नर सिंह | |
| (22) Jitendra K. Singh | |


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

कार्यवाही :-

स्वर्गसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि
श्रीम राजपर्व, एलॉट संख्या - 01, रकबा -
0.001 हेक् एवं एलॉट संख्या - 01, रकबा -
0.007 हेक् भूमि पर 2203C/3 Phased -
TAPs - (अनुसूचित जाति साधन
में प्रदत्त वाली भूमि जो अधिसूचित वन
है) को अनहित की देखभाल करने वाला अधिकार
समिति राजपर्व एवं राजगीरों के द्वारा
अनापत्ति दिया जाता है।

9. शान्ति

अध्यक्ष
वनाधिकार समिति
राजगढ़

Name Udit

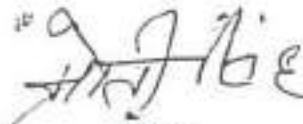
मुनि श्रवण
मन्त्रमयिनी
तुमिष्वानि तुरिय
पुण्ड-चन्द्रपरा (बोकारो)

[Signature]
Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि TTPS Gobindpur T.T. Line परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित (आ. 23, 1. ला. 2-1 20.0.00) वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के सम्मुख रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad


 अध्यक्ष
 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
 अधिनियम, 2006
 अध्यक्ष
 वन समिति राजाबेड़ा

पुनःप्राप्ति समित आरम्भ
सुनिश्चित है

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 मुद्रिका
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...

मुखिया के अतिवादन के पश्चात आम की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैठक के संबंध में सभी ग्रामीणों को बताया गया।

ग्राम	थाना नं०	लॉट संख्या	रकबा (हे०)	क्रिस्म
शुद्धी	०४	१४४	०.०१४	अंगल झाड़ी
		१४४	०.०५५	अंगल झाड़ी
		१००	०.०१७	अंगल झाड़ी

तत्पश्चात इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन के उपभुक्त (लॉट पर उसके निर्माण एवं गुजरने पर आदिम जनजाति समूह (PTG) एवं पूर्व कृषि समुदायों (PAC) के अधिकारों का हनन नहीं होगा हे के संबंध में ग्रामीणों ने इस संबंध में सहमती जाहिर की। ग्रामीण जनता ने इस परियोजना के महत्व को समझा एवं स्वनिमत से सहमति देते हुये इस प्रस्ताव को पारित किया।

मुख्यमन्त्रिक के साथ-साथ ही कार्यवाही समाप्त की जाती है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

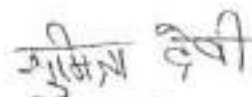

मुखिया
ग्राम पंचायत सुटरी
उत्तराखण्ड-नरीडीम डोकता

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 410 of 220 KV TAPS-Coolindpur Line परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित खेती 150000 1000 वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

वनाधिकार समिति
साचेव
जाँच 2 मई 2011



अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
अधिनियम, 2006

19/5/2010
मुख्यालय
ग्राम विद्यालय छपरा
नवाडीह (शेकागरी)

Rant Han
अध्यक्ष
वनाधिकार रस
जाही


Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad

- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

- 18 Regasat Humar
- 19 Bhalu mekro
- 20 Bhalu mekro
- 21 Bhalu mekro
- 22 Bhalu mekro
- 23 Bhalu mekro
- 24 Bhalu mekro
- 25 Bhalu mekro
- 26 Mel. Amin
- 27 Mo. Akbar
- 28 Mo. Akbar
- 29 Mo. Akbar
- 30 Mo. Nasir
- 31 Mo. Nasir
- 32 Mo. Nasir
- 33 AK Bar Sah
- 34 Mo. Akbar
- 35 Mo. Akbar
- 36 Kamrud Akbar
- 37 KHRSHID Akbar
- 38 KHRSHID Akbar
- 39 KHRSHID Akbar
- 40 KHRSHID Akbar
- 41 KHRSHID Akbar
- 42 KHRSHID Akbar
- 43 KHRSHID Akbar
- 44 KHRSHID Akbar
- 45 KHRSHID Akbar
- 46 KHRSHID Akbar
- 47 KHRSHID Akbar
- 48 KHRSHID Akbar


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad

नाननीम मुखिया के अभिवादन के पश्चात् आज की बैठक की कार्य-
वाही प्रारम्भ की गई जिसमें उपभोजन सम्बन्धि विवरण वनाश्रम-
जंगल भा. 6 के रूप में पड़ने वाले अभिज्ञ विवरण निम्न प्रकार है
जो- 1.5 है

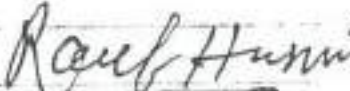
ग्राम ग्रामा संख्या	लॉट	रकबा (हे.)	वि.सं.
गामा 6- 82	136	0.116	1.5 (जंगल भा. 6)
	166	0.020	1.5 (जंगल भा. 6)
	177	1.058	1.5 (जंगल भा. 6)
	166	0.052	1.5 (जंगल भा. 6)
	166	0.379	1.5 (जंगल भा. 6)
		1.67	

उपर्युक्त अभिज्ञ लॉट रकबा का न्यायिक रूप से प्रमाणित करने के
उपलक्ष्य लॉट पर पड़ने वाले एवं गुजरने वाले आदिम जनजाति समूह
(P.T. 6) एवं ग्राम कृषि समुदाय (P.A. 6) के अधिकारों का होना नहीं होता।
इस सम्बन्ध में सदस्य जाहीर की शमीन जनना न केवल परिशेष
के महत्व की समझ एवं सदस्य हुए नया पालन किया गया है।
इस प्रकार के वाद इस कार्य का समाप्त की जाती है।

मो. खलील
वनाधिकार समिति
सचिव

मो. खलील
मुख्य अधिकारी
ग्राम पंचायत-घपरी
नावाडीह (बोकारो)

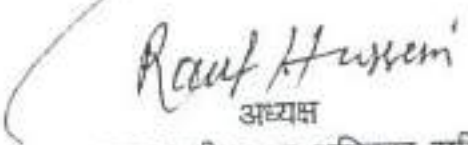

Electrical Executive Engineer
Transmission Division
Dhanbad


अध्यक्ष
वनाधिकार समिति

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि 220 KV D/C, 3 phase, TTPS- Govindpur Transline for NOC परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित for BPL Land Jungle Jha वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा की व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।


 Electrical Executive Engineer
 Transmission Division
 Dhanbad


 अध्यक्ष
 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
 अधिनियम, 2006